

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/1419

दिनांक : 28-02-14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार **SHRI RAM COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY BANMORE** को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित **एम.बी.ए.** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य की एम.बी.ए. के लिये पृथक से नियुक्ति की जावे।
2. परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त जिन शिक्षकों ने दो वर्ष के अन्दर पीएच.डी. /नेट/स्लेट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उनके स्थान पर नये शिक्षकों की नियुक्तियाँ शीघ्र ही तीन माह में की जावे।
3. सत्र 2012-13 में लगाई गई शर्तों का पालन सुनिश्चित कर विश्वविद्यालय को सूचित किया जावे।
4. परिनियम 27, 28 पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. ऑडिट स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जावे।
6. एक लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें क्रय की जावें (नवीन पुस्तकें)

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. **प्राचार्य, SHRI RAM COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY BANMORE**
2. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, 7th फ्लोर, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)